

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर


सियाराम बनाम राजेश वर्ग 0

अपील संख्या

132/25

अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट

GCMS NO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 132/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.9.25	<p>अपील श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता ने पेश की । अपील बांद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांत अधिवक्ता को एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर के प्रकरण संख्या 354/24 मे पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/रेस्प0 संख्या 1 राजेश की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 5.9.24 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। चूकि उक्त आदेश अंतग्मि आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण अप्रार्थीगण की तलबी मे नियत है। जिसमे अभी तलबी अप्रार्थीगण होना शेष है। चूकि प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है। न्यायहित मे प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित है कि प्रकरण मे विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किया जावे। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विधिक कार्यवाही करने हुए प्रकरण का अंतिम निस्तारण अन्दर एक माह मे किया जाना सुनिश्चित करे तथा अपीलांत को पाबंद किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन उनवानी प्रकरण मे नियत दिनांक को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करे। अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर</p>	

